कार्यालय का नाम	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
NIB Number	SUP1819A0007
अनुमानित मात्रा / संख्या	संलग्न बोली आंमत्रण सूचना अनुसार
कुल अनुमानित कीमत	रूपये 12.00 लाख
बोली प्रतिभूति राशि	रूपये 24,000 / —
सप्लाई अवधि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 20.08.2018 को दोपहर 3:30 बजे

		\ \					_		
सलग्न	:—	बोली	आमत्रण	सूचना	संख्या :	:—	दि	रनाक	

कुलसचिव सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

बोली (Bid) की मुख्य शर्ते

1. शुल्क (Fee)

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Document & Bid Security Fees) बैंकर <u>चैक / डिमाण्ड</u> ड्राफ्ट के रूप में निम्नानुसार दी जायेगी।

शुल्क का विवरण	शुल्क की राशि	किसके पक्ष में
3(4, 4) 144(1	बोली की कुल अनुमानित कीमत	(In favour of)
बोली प्रपत्र शुल्क	रू. 500 ∕ —	कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर (Registrar, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur)
प्रोसेसिंग शुल्क	रू. 500 ∕ −	एम.डी., आर.आई.एस.एल. जयपुर (MD, RISL, Jaipur)
बोली प्रतिभूति राशि	रू. 24,000 / — (बोली की कुल अनुमानित राशि रू. 12.00 लाख का 2% बोली आमन्त्रण सूचना अनुसार)	कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर (Registrar, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur)

(ब) शुल्क जमा कराना—निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अलग—अलग बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन कर ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होगें तथा इन्हें बोली आमन्त्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी जमा कराने होगें। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग शुल्क तथा चाहे जाने पर संबंधित वस्तु के सैम्पल के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. पात्रता (eligibility)

(i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को ई—बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा तत्पश्चात् जो बोलीदाता ऑनलाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T. Act 2000) के तहत् डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होगें। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमन्त्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस् के संबंध में बोली के साथ सलंग्न परिशिष्ट् 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना होगा।

3. अनुभव (experience)

(i) बोलीदाता को इस तरह के उपकरण/आईटम की किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं में विगम दो वर्षों में बोलीदाता आईटम के अनुमानित कुल मूल्य की कम से कम 25% राशि के कम से कम दो आपूर्त्ति का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिए निम्ननुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :—

संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य के दो आदेशों के प्रमाण-पत्र।

अथवा

विगत वर्षो में कम से कम दो कार्य अनुभव संबंधी दस्तावेज।

अथवा

मूल सेवाप्रदाता का वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) कम से कम रूपये 1 करोड 4. दस्तावेज (document)

- (i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं GSTR/GST चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। (इस संबंध में बोली परिशिष्ट—स की शर्त संख्या 4(ii) देखें)
- (ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।
- (iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज / प्रमाण-पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
- (iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, पिरिशिष्ट् 'द' एवं अनुलग्नक—'ब' की पूर्त्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई—बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगें। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई—बोली में उसके आगे की प्रक्रिया (Stages) में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. वैधता (validity)

बोली की वैधता-प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. अन्य शर्ते (other condition)

(i) उपरोक्त अंकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ,ब,स,द एवं इ तथा अनुलग्नक—अ, ब, स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।

- (ii) ई—बोली में ऑनलाईन स्कैन कर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होगें। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगें। RTTP Rules के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
- (iii) प्राधिकृत सेवाप्रदाता के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को सेवाप्रदाता फर्म का पंजीयन प्रमाण—पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
- (iv) शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन राजस्थान के तीन शहरों यथा जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर में किया जाएगा तथा तीनों स्थलों पर परीक्षा का आयोजन साथ—साथ या अलग—अलग दिवसों पर आयोजन किया जायेगा।
- (v) शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिदिन लगभग 1000 अभ्यार्थियों की दौड का आयोजन किया जाएगा।
- (vi) परीक्षा स्थल पर कम्प्यूटर, डी.सी. बैट्री व अन्य उपकरण की व्यवस्था किए जाने की जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की रहेगी।
- (vii) प्रतिदिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद परिणाम की रिपोर्ट शारीरिक दक्षता बोर्ड को उसी दिन प्रस्तुत करनी होगी।
- (viii) शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियों रिकॉर्डिंग सी.डी. (Compact Disk) में उसी दिन शारीरिक दक्षता बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी तथा समस्त दस्तावेज सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में शारीरिक दक्षता बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी।
- (ix) शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल पर पर्याप्त संख्या में मैनपॉवर की व्यवस्था बोलीदाता फर्म को करनी होगी।

7. डेमोस्ट्रेशन

क्वालिफाईड बिड में योग्य पाए जाने पर डेमोस्ट्रेशन 2 दिवस में करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन में योग्य पाए जाने पर ही बोली पर विचार किया जाएगा।

8. सामान्य सूचना (general information)

- (i) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सेवा प्रदान करने में असफल रहता है और इसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, या उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit) लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनिधक की कालाविध के लिए विवर्जित(Debar) किया जा सकेगा।
- (ii) विस्तृत शर्तो को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट्ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।
- (iii) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज बाधित होना पाए जाने पर स्पष्टीकरण Rajashan Transparency in

Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

- (iv) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार बिना कारण बताए अस्वीकार अथवा सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार विभागीय उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- (v) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें / प्रावधान लागू होगें।
- (vi) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर होगें एवं द्वितीय अपील अधिकारी कुलपित, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर होगें।
- (vii) बोली के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :--

नोडल अधिकारी, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा—2018 सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर। दूरभाष — 9414662993

ई—मेल — jailprahariraj2018@gmail.com

कुलसचिव सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

(बोली प्रपत्र—क्वालीफाईंग बिड) परिशिष्ट ''अ'' <u>घोषणा</u>

बोली ३	आमत्रण सूचन	र क्रमाक :		दिनाक :	
(I)					के लिए
.,	बोली (खाली	स्थान में उस वस्तु/र			
(II)	बोली प्रस्तुत	करने वाली फर्म :			
	•	क का पूर्ण पता,			
		 न नम्बर एवं ईमेल			
(III)		प्रस्तुत करनी है :- व्			क्षा एवं दाण्डिक
` ,		द्यालय, जोधपुर -	9	3 / 3	•
(IV)	_	बोली आमंत्रण की सू	चना संख्या :		
` ,		देनांक	•		
		दिनांक			,
(V)	बोली प्रपत्र इ	शुल्क :- राशि रूपये		•	/डिमाण्ड ड्राफ्ट
` '		~ दिनांक			
(VI)		क : राशि रूपये			
` ,	दिनांक	द्वारा ज	नमा करा दी गई है	<u> </u>	
(VII)		ामंत्रण सूचना संख्या			में वर्णित
()		संबंधित परिशिष्ट "स			
		ो है। परिशिष्ट ''स'' त		•	
		. २१ प्रे जाने के प्रमाण—स्व		•	
		। परिशिष्ट संलग्न है।			
(VIII)	•	 है कि विभाग द्वारा बोल	री आमंत्रण सचना	में अंकित सप्लाई	ं / सेवा अवधि में
(111)		⁄ सेवा की सुपुर्दगी कर		1 on the city) (141 O141-1
(IX)		करते है कि "प्राईसिं		। गई दरें "प्राईस	बिड" खुलने की
` ,	_	दिन तक विधि मान्य है		, ,	3
(X)	हम सम्पुष्टि	करते है कि ''प्राईसबि	ड" में अंकित दरे	विभागीय परिशिष्	ट "इ" में अंकित
	स्पेसिफिकेशन	न के लिये है।			
		टी पंजीयन संख्या			
(XII)	_	करते है कि प्राईस वि			
		जप में विभाग से करा	र निष्पादन करेंगे,	करार के अभाव	में बोली निरस्त
	योग्य है।				
(XIII)		करते है कि आवश्यक			
	आवश्यक दर	तावेज संलग्न किये गर	य ह ।जनका विवर	ण ।नम्न प्रकार ह	: -

वांछित दस्तावेज का विवरण	हां / नहीं	जारी दिनांक / वैधता
		दिनांक
बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक / डी.डी. नं		
दिनांक राशि		
प्रोसेसिंग शुल्क बैंकर चैक / डी.डी. नं		
दिनाक राशि		
बाला प्रातभूति सांश बंकर चंक / डा.डा. न		
बोली की सभी शतों से सहमति का पत्र		
परिशिष्ट 'द' (स्टेट्स चिन्हित कराते हुए)		
अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थानों की पूर्ति कराते हुए)		
जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 10 के		
अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में		
ऑकेतानुसार		
वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज		
	प्रोसेसिंग शुल्क बैंकर चैक / डी.डी. नं	बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक/डी.डी. नं

- (XVI) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।
- (XV) हमारे द्वारा निविदादत्त वस्तुओं का एक शील्ड सैम्पल/सेवा प्रदान करने की स्थिति में उसकी प्रक्रिया का एक संक्षिप्त विडियों व उसके उपकरण निविदा में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक कार्यालय सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करवा दिये जायेंगे।
- (XVI) हम सम्पुष्टि करते है कि हमारे द्वारा प्राईस बिड ई—बोली में निर्धारित प्रक्रिया से आवेदित की गई है।

<u>नोट :-</u>

- 1. क्रम संख्या (XIII) में अंकित संलग्न को में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख 'Yes' or 'No' दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issusing Date) वैधता अविध (Validity Date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उदरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।
- 2. बोली भरने की प्रक्रिया :--

- (ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ, ब, स, में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई—बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आईटम/सेवा के परिशिष्ट—इ में अंकितानुसार स्पैफिकेशन के दो सैम्पल कपड़े में सील करके हस्ताक्षर शुदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेंगे।
- (बी)परिशिष्ट ''ब'' प्राईस बिड है उसे ई—बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावें। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



(बोली प्रपत्र—प्राईस बिड) परिशिष्ट ''ब''

ला	आमत्रण सूचना क्रमाक :	दिनाक :
1.		के लिए
	बोली (खाली स्थान में उस वस्तु	/सेवा का नाम लिखे, लिसके लिए बोली दी गई है।)
2.	_	
	=	
3.	बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :-	कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक
	-	न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
4.	संदर्भ :- बोली आमंत्रण की	सूचना संख्या :
	दिनांक	जो (समाचार पत्र का नाम)
		में प्रकाशित हुई है।
5.	निम्नलिखि वस्तु / सेवा के लिए	दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी :
	(क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स	पेसिफिकेशन के अनुरूप वस्तु / सेवा का नाम :
	(ख) मात्रा :	
	(ग) सरदार पटेल पुलिस,	सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
	निम्नानुसार अंकित करें :	_
	(i) दरें-(प्रति जोड़ा / प्रति अ	भ्यर्थी / प्रति मीटर / प्रति सैट) :
	अंकों में ई—टेण्डरिंग	के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावें।
	शब्दों में ई—टेण्डरिंग	के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावें।
	(ii) विभिन्न कर ≔ As appl	icable at the time of supply/service.
	ई—टेण्डि	रंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावें।
6.	बोली भरने की प्रक्रिया :	
	•	तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट—अ में
		रुप ही बोली प्रस्तुत की जावें अन्यथा बोली पर विचार
	नहीं किया जायेगा।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



परिशिष्ट-"स"

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

- बोली भरने की प्रकिया:-बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
- 2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :-
 - (अ) निर्माता द्वारा बोलियां:(i)सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii)बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी ।
 - (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम् हेतु आरक्षण:-
 - (i) किसी भी वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।
 - (ii) उक्त उधिमयों कोराजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की
 - (iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधिमता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम



प्राप्त है, के द्वारा <u>बोली (e-bid)</u> में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि <u>बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन (procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।</u>

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19. 11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्य अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप भें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में

उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित

नियमो के अनुसार कार्य्वाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

(i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के



अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों

को मुक्त नहीं किया जाएगा।

संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों (ii) को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर दत् । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return)व चालान की प्रति:-

कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में (i) प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नहीं दें सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया (ii)

जावेगा।

यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर (iii) अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने 5. के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल् रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में

भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

दरें बोली में दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं (i) इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य (क)



7.

8

(ii)

में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है, तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे

और कुल योग् में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रृटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दरें एक्साईज डयूटी सहित ही अंकित की जावे। लेकिन एक्साईज ड्यूटी की दरें भी पृथक से अंकित की जावे एक्साईज ड्यूटी में कालान्तर में हुई कमी एवं वृद्धि होने पर

उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दर ऑकत करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे । अस्पष्ट वाक्य, जैसे ''टैक्स पैड'' ''कर सहित'' ''एज एप्लीकेबल'' का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(v) बोली में दर अंकित करते समय चुंगीकर (यदि कोई हो तो) अलग से अंकित की जावे तथा चुंगीकर की राशि या प्रतिशत

भी अंकित किया जावे।

(vi) बोली में दरें परिशिष्ट ''इ'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ. ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिकीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट 'इ'' में अंकित परिसरों पर दी जाऐगी।

(vii) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट

घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे ।

(viii) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अत: बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(ix) सप्लाई द्वारा माल प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, माल को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्सम्बंधी भुगतान कर दिया जावेगा। अत: बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।



(x) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी। (xi) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर

(xi) बोली दर्र खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि

जब्त कर ली जावेगी।

(xii) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xiii) किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

9. दरों की तुलना:-

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नही करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शमिल करने सम्बन्धी प्रिक्रिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगो द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता

दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्य अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत

रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी ।

10. बातचीत (Negotiation) :-

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीतनहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring

Price) दी गई हो या



- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
 (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।
- 11. बोली की विधि मान्यता:दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अविध तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अविध से कम अविध के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
- 12. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तत करने से पूर्व अपना आवेदन सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा ।

14 स्पेसिफिकेशनु:-

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/ सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलो मे जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्य आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात



बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

(iii) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर

प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

15 निरीक्षण एवं परीक्षण :-

(i) (A) सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभा युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान

हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम,वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(i) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्राविधत किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(ii) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु



बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गहो में जमा

कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

रद्द करना (Rejection):-निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

- यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की (v) तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।
- आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

माल की सप्लाई :-16.

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट फूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा । इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी । (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को
- सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते
- (iii) <u>बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये</u> भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाऐगा ।
- बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 17. अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी ।
- सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period) 18.
 - जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट-'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में मालू की सप्लाई (i) करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।



(ii) फर्म निर्धारित समयाविध में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अविध पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अविध बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अविध बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अविध बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा ।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अविध के बराबर अविध तक, पिरिनिर्धारित क्षित सिंहत या रिहत, प्रदायगी अविध में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारीसप्लाई अविध आगे भी बढा सकेंगे।

19. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

20 संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract)के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:सामान्यत: उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त कय की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लागाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को,प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी कम में और भी बोली लगाने



वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

21. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-

(i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशिअनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय स्रकार, या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों

से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, (iii) राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो; के अतिरिक्त अन्य फर्मी को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित त्रीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वी्कृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, द्वारा <u>बोली सूचना में अंकित</u> बोली प्रतिभूति राशि <u>की चौथाई</u> राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंक्रित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभृति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शल्क के 50% मल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्मे द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।



- (iv) बोली आमंत्रण (e-bid) में अंकित प्रत्येक वस्तु हेतु अलग से बोली प्रतिभूति राशि <u>महानिदेशक पुलिस राजस्थान के नाम से</u> निम्न रूप में दी जाऐगी:-
- (ब) शैडयूल्ड बैक का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।
- (स) बोली प्रतिभृति राशि अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान मेंबैक गारन्टी GF&AR के अनुसार राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक होने पर ही स्वीकार होगी। जिसे जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।

(v) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):-असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्रा लौटाई जाएगी।

- (vi) (अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि बोली के पुन: आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
- (vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभृति लौटा दी जावेगी।
- (viii) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):-बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :

(क)जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्त्रण (Modification) करता है।

(ख)जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग)जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ)जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

- (ड.)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
- 22. करार एवं सुरक्षा राशि (Agreement and Performance Security):-
 - (अ) बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।



करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध (i) निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नांकितानुसार मूल्य के नॉन (ब) ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा:-

- 1. राशि रूपये 10.00 लाख तक रूपये 500/-2. राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक रूपये 1000/-किन्तु 50.00 लाख तक
- 3. राशिं रूपये 50.00 लाख से अधिक रूपये 5000/-

करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई (स) है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:-

कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकार्यों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति होषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट नागान या (i) घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म (ii) एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए होंतो उस वस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।

(iii) सक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक् और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 2% के बराबर होगी।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

सफल बोली लगाने वाले की दशा में, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है।

(vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा ।

(vii) सुरक्षा राशि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के नाम से निम्न रूप में दी जा सकगी:-

(क) ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा '' (ख) किसी अनुसूचित बैंक ्के बैंक ड्राफ्ट्या बैंकर चैक द्वारा,

राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्किप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत



नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ जो यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

- (ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमित की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमाऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज् के साथ समपहत कर ली जायेगी।
- (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालाविध को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालाविध के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदिप्रस्तुत करना आवश्यक है।

(viii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार

(क) एक समय पर खरीद के मामले में कय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

- (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Stggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो. के दो माह के भीतर ।
- (ix) सुरक्षा राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit):-सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो। (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में

असफल रहा हो। (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(X) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) बोलीदाता द्वारा नि:शुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत

किये जाएंगे:--

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख , (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

 (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्र द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र

- (xii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए ।
- 23. बीमा:-बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएँगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. भगतान:-

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किय गए प्रेषण प्रभार (Remittance

Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे ।

(iii) विवादस्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से

प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगे।

- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अविध को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अविध के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।
- (vi) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period)में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार



पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफले रहा है:-

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के

विलम्ब के लिए-2.5%

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक -5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनिधक के लिए

विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्त -7.5% विहित अविध के तीन चौथाई से अनिधक अविध

के लिए

विहित प्रदायगी अविध की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दियाजायेगा ।

परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10%होगी

यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अविध में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घ्टित होने पूर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो केताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि

कर सकेगा।

नोटः प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिधरित क्षति की वसूली नहीं की जाँवेगी।

- वसूलियाँ:-परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि स्प्लायर सन्तोषजनक ढंग से 25 उक्तांकित वस्तुओं को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने 26. के लिए स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।
- बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जाएँगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तो के अतिरिक्त 27. है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता



द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

- 28. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 29. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
- 30. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
- 31. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी ।
- 32. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
- 33. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

कुलसचिव सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय.

जोधपुर

मैने / हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्व पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ / है।

> हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर (बोल की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In	re	elation to my/our Bid submitted to for procurement of for procurement of
		I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement 012, that :
,	-, -	, ,
	1.	I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and
		competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
	2.	I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the
		State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
	3.	I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs
		administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended
		ant not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
	4.	I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal
		offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or
		misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement Contract within a
		period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have
		been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
	5.	I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding
		Document, which materially affects fair competition;
	Dat	Signature of Blader
	Plac	ce : Name :



Designation : Address :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) Form of Appeal
 - (a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

mp

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

5) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



FORM No. 1

[See Rule 83] Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

the 1. I	No
(iii) 2. I	Official address, if any: Residential address: Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii)
3, I	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.]	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. [Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
(Grounds of appeal : Supported by an affidavit)
7. F	Prayer:
Date	Annellant's Signature

परिशिष्ट् 'द'

मैं / हम घोषणा करता हूं / करते है कि मैंने / हमने जिस सेवा के लिए बोली दी है, उनका / उनके लिए मैं / हम योग्य है एवं मेरे / हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट् अ,ब,स एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है एवं साथ ही मुझे / हमे P.E.T./P.S.T. कार्य हेतु किसी भी सरकारी / अर्द्ध सरकारी / अण्डरटेकिंग व अन्य संस्थाओं द्वारा किभी भी ब्लैकलिस्ट / डीबार नहीं किया गया है तथा मेरे / हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पलना की जाएगी / करूंगा / करेंगे । और मैं / हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषाणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीलीदाता के हस्ताक्षर



परिशिष्ट् 'ई'

जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा—2018 की लिखित परीक्षा में उर्त्तीण होने वाले अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक तकनीक से शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड 05 कि.मी.) हेतु सेवा प्रदाय बाबत शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.स. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होंगें।

जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा—2018 की लिखित परीक्षा में उर्त्तीण होने वाले अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक तकनीक से शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड 05 कि.मी.) हेतु सेवा प्रदाय बाबत शर्ती आदि का विवरण निम्न प्रकार है :—

DIGITAL RFID BASED P.E.T. FOR RECRUITMENT OF JAIL WARDER EXAM

1.1 Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur is going to undertake Physical Efficiency Test (PET) for approximately 5800-6000 cadidates competing for the post of Jail Warder. The test is likely to be conducted in the month fo December-2018. PET whould be carried out at 03 different locations simultaneously or different in the State. Approximately 1000 candidates will be called for PET every day at each of these Centres. The centres may also have to function on on holidays.

The List of probable centres is as follows.

- 1. Jodhpur
- 2. Jaipur
- 3. Udaipur
- 1.2 Base on databse provided by the Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.
- 1.3 When a candidate arrives, the vendor would be required to examine the admit card and photograph, record relevant data of the candidate from the admit card and university record, provided at the site and issue him/her chest number. The Details of which would be entered into the candidates databse. Chest jacket and number have to be provided by the Vendor itself.
- 1.4 All the successful candidates who have qualified in PST will be called for PET. The candidate would be required to run the designated distance between the designated start and finish points, as prescribed by the University of Candidates. The Detals of prescribed norms for qualifying PST and PET is given in Jail Warder Recruitment Advertisenment No. 23955 dated 20/07/2018. Which is available on Rajasthan Jail Prahari Website www.jailprahariraj2018.in

The vendor is required to evaluate the candidates as per their performance and marks, as prescribed for various grading, to be allotted to the candidates. The result of PET will be announced as soon as the run is completed. The vendor is required to provide the related data immediately after the completion of run of the day. The data includes: start time, finish time, lap time and total time taken by each candidate and the marks assigned to every candidate as per grading.

1.5 Based on the listing of qualified candidates, as per the requirement of the Board, the vendor would be required to submit the data in a recordable media as per the formate and schedule prescribed by the university.

- 1.6 The vendor would also be required organize videography/CCTV at each centre during the conduct of the PET. A minimum of 2 cameras would be required to be installed at each Centre and the time and date should be displayed on the recordings. These recording would be required to be submitted by the vendor to the university at the end of each day. It sould be possible to detaect any irregularity from these recordings with a facility to search and retrieve the images.
- 1.7 The vendor should provide sufficient monitors for all the CCTV cameras at each Centre, so that the imputs of all the CCTV cameras can be observed/seen at one location on the monitors.
- 1.8 The vendor would also be required to submit daily report in hard and soft copy to the university regarding number of candidates appeared, qualified, failed, etc. as per the formate prescribed by the university.
- 1.9 The vendor would be required to arrange on his own all hardware, software and required manpower for the uninterrupted conduct of PET, including the power backup/UPS. The software should be capable of integrating all the data for report generation. The University would provide premises, electricity supply, emergency medical care during the events, temporary shelter/ storage spance for storage of vendor equipment and general security of the Cnetres.
- 1.10 सभी अभ्यर्थियों की सूचना मय दौड प्रारम्भ तथा दौड समाप्त करने का समय तथा दौड में लगने वाले सम्पूर्ण समय सीमा की जानकारी(प्रतिदिन का डेटा / बैकअप) प्रतिदिन एक्सल सीट पर शारीरिक दक्षता बोर्ड को उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 1.11 शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित दौडने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर ही फर्म को भुगतान किया जाएगा।
- 1.12 माननीय न्यायालय आदेश की पालना में बुलाए जाने पर फर्म का प्रतिनिधि आवश्यक उपकरणों सहित न्यायालय में उपस्थित होगा, जिसका विश्वविद्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 1.13 किसी भी अभ्यर्थी का एक से अधिक परिणाम जारी करने पर फर्म की बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 1.14 शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थियों का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन बार्ड द्वारा चाहे जाने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- 1.15 शारीरिक दक्षता परीक्षा में मापतौल (PST) विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी तथा डाटा फिडिंग का कार्य बोलीदाता फर्म द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

Note:

The quantities of various items given in the Schedules for the works to be executed are only approximate and are for the guidance of the contractor. As far as possible, they have been assessed correctly but are likely to vary during the execution of the work.

- 1.16 The vendor will fix two digital clock displays to enable the candidate to see the timing while they are running for the test.
- 1.17 Recording of timings should be 100% error free.



- 1.18 Adequate servers and computer terminals with peripherals are to be provided and maintained by the Vendor for Registration and Deregistration of the candidates and other purposes.
- 1.19 The timing recording system should have a back-up system at the START/FINISH lines. The corresponding system i.e. RFID Tag Readers, should function in synchronized manner i.e. the main at START Line with the main at FINISH Line for recording the timings and arriving at the NET Timings of the candidates.
- 1.20 While arriving at the results of the candidates, the tie recorded by the main system should be taken into account. Only in case of non-availability of the time recorded by the main system, the time recorded by the back-up system should be taken into account.
- 1.21 There should not be any kind of shortage of RFID based timing recording systems, number of equipments like computer terminals, communication equipments, etc. including back-up systems.
- 1.22 The university will not be responsible for any power shut down, defects/failures in the infrastructure, server computer system, peripherals, RFID Tags, Video coverage, shortage of manpower required to operate the systems, etc. The contractor should ensure uninterrupted testing by having adequate back-up for all the Systems and Manpower.
- 1.23 All the systems should be installed and validated by conducting repeated trials for at least 1 day before the commencement of the PET at each locations.

1.24 PAYMENT SCHEDULE:

The Payment will be made on the basis of registerd candidate for PET. The payment of the work will be done with in 10 days after receving payment will from vender.

2. General Conditions:

PREQUALIFICATION CONDITIONS:

A Vendor shall be qualified to bid for this work only if the vendor fulfills the following conditions:-

- 2.1. The Headquarter of the vendor should be in India. Joint ventures are permitted.
- 2.2. The vendor should have the experience of using RFID equipment for measuring timing of runner's simultaneously more than 3 locations. If the vendor is a joint venture then this experience should available with any of the partners of the joint ventures.
- 2.3. The turn over of the vendor should have been Rs. 1 Crore or more in any one year of the last 3 years.
- 2.4. The Vendor should have the capability of organizing a comprehensive integrated demonstration/trial at Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur campus with in 2 day of opening of technical bids. If so required.
- 2.5. The vendor must be able to prove access to reseources manpower, hardware, networking, and integrated software for organizing of PET at minimum 3 locations, simultaneously.
- 2.6. The attested/original documents such as Letter of Acceptance or the copy of the Agreement or Work Order and Completion Certificate issued by the authorities



- who have organized/conducted the timing events in Govt. department/undertaking /autonomous body shall be enclosed in support of claims.
- 2.7. The Demonstration will be 'real time' event and the 'Start' and 'Finish' Time taken by the candidates in completing the given distance should be automatically recorded and the 'Net' Time is immediately show in the system when the cross the 'Finish' line.
- 2.8. The Ground, Power (Electricty) supply and Runners required for conducting the demonstration will be provided by the recruitment boards. All other requirements, including equipments, UPS, etc., for conducting the demonstration have to be met by the Vendor.
- 2.9. The Firms/Agencies who are giving the demonstration, will have to make a Power Point Presentation of the concept of technology to be used of conducting PET along with working plan and implementiation framework, before their demonstration.
- 2.10. The nature of work is highly confidential. The vendor is supposed to maintain a high level of secrecy during the contract period and even after completion of the work. The vendor should not disclose or communicate any of the information dealt in this contract to any individual or any private or semi-government /government agency ithout prior approval from the Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.
- 2.11. The university shall consider wawarding the contract to the Tenderer whose Tender is substantially responsive to the Tender document and whose offer has been determined to be the lowest evaluated.
- 2.12. All Standard/Parameters laid down above w.r.t. PET is subject to final confirmation from Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.

3. Clearing of Centre

- 3.1. Dismantling operations are to be carried out at the sole risk and liability of the Vendor shall take due care to ensure that during dismantling released materials, debris etc., do not cause any injury to the staff or labourers.
- 3.2. Released materials and other debris of dismantling should be removed as directed by the Ground-in-Charge and no extra payment hall be made on account.
- 3.3. **SAFETY OF LABOUR** The vendor must ensure the safety of labourers engaged by him during the course of execution of work. The University will not be responsible for any injury sustained by the labourer or for any fatal accident and the contractor should bear all the loss and the expenditure involved, if any.

Penalty Clause

- 3.4. In the event of accident at the work site on account of vendors negligence or he negligence of his men, penalty as deemed fit shall be imposed on the vendor and recovered from the bills. Any damages/compensation arising out of such incidents shall be born by the vendor.
- 3.5. The number of candidates called per day shall be subjected to the PET on the day itself. If there is any failure in completing the PET for the number of candidates called and reported for a day of reasons attributable to the Firm/Agency, a penalty of **Rs. 5,000/- per day** will be levied, apart from subjecting

- the caondidate for PET without addinal chages. The decision of the concerned University in this regard shall be final and binding on the vendor.
- 3.6. Shartage of manpower or equipment on the part of the vendor shall not be permissible.

4. Variations in Quantities

- 4.1. The quantities of various items given in the bid for the works to be executed are only approvximate and are for the guidance of the contractor. As far as possible, they have been assessed correctly but are likely to vary during the execution of the works.
- 4.2. In the event of any reduction in the quantities to be executed for any reason whatso ever, the contractor shall not be entitiled for any compensation but shall be paid only for the actual quantity of work done, at the agreed rates.
- 4.3. The Price variation clause is not applicable in this contract.

5. Methodology of Conducting Entrance at PET centre

- 5.1. The candidates having valid Call Letters alone shall be permitted to enter the Centre 60 minutes (1 hour) before the stipulated time.
- 5.2. At the "ENTRY" Gate, the Police/Jail Personnel shall check the validity of Call Letter by verifying the photo available on the Call Letter with the candidate present at that time.

6. Registration Counters

- 6.1. All the 6 rgistration counters, 4 de-registration counters established by the vendor.
- 6.2. The registration counter should be able to register at least 1000 candidates per day at each centre.
- 6.3. Each Registration counter shall have a Computer attached with a Chip/Tag Scanner and manned by an Operator. The Computer Operators shall be provided by the Agency.
- 6.4. Providion shall be given for keying I the Roll Number. One scanning/keying in, the candidates Name, Roll Number and other details should be feched from the Server & displayed in the monitor.
- 6.5. On completion of the above mentioned process, the candidate shall be directed to undergo PET.
- 6.6. All Computers are to be Networked and linked to a server. Necessary back up measures are to be taken for the Server and Netwrok to avoid. Any interruption in Registration, De-Registration & PEt services.
- 7. Running Zone. The Operator shall scan the RFID Chid/Tag and the RFID Chip/Tag number updated intor the database, against the Caondidates Name/Roll Number(ID). Then the RFID Chip/Tag is attached to the ankle of the candidate or to any other visible part of body as decided by the Board. The candidate will also be issued a matching chest number (Provided by vendor) which will be added to his database.
- 7.1 On entering this area, the candidate shall be directed to the "START" line. The movement of the candidates shall be regulated, in coordination with officials, in such a way that the "START" line and the Track are not crowded at any point of time. The officials shall be provided by the boards.

8. "START Line

- 8.1 The candidates shall be asked to run from the 'Start Line', by crossing the antennas/mats, which are places here.
- 8.2. The antennas/mats should have a 'Back-up' System for recording the timings of the candidates.

9. "FINISH Line

- 9.1 When a candidate completes the run by crossing the **'FINISH'** line he/she shall be directed to the **Deregistration Coutners.**
- 9.2. The antennas/mats placed at the 'FINISH' Line should also have a 'Back-up' System for recording the timings of the candidates.
- 9.3. The corresponding antennas/mats should function in synchronized manner i.e. first/main at 'START' Line with the first/main at 'FINISH' Line and similarly, second/back-up at 'START' Line with second/back-up at 'FINISH' Line for recording the timings and arriving at the 'NET Timings' of the candidates.

10. <u>De-Registration Counters</u>

10.1. A minimum of 4 Deregistration Counters shall be set up by the vendor for collecting the Chip/Tags.

11. UPS (Back-up Power)

11.1. UPS with adequate capacity shall be arranged to provide backup power supply to computers and peripherals to ensure uninterrupted conduct of the PET.

12. Publishing of Results

12.1. The attendance particulars results of the PET shall be generated in hard copy(two copies) in the prescribed formate and produced to the Board at the end of the PET every day. Simultaneously a soft copy of the same should be emailed to the University every day.

13. Video/CCTV Camera Locations

- 13.1. The activities going on at the testing centre are to be videography by placing Video/CCTV cameras at various places mentioned.
- 13.2. The requirement of Video/CCTV cameras will be minimum 2 Nos.
- 13.3. Adequate number of TVs/Display monitors shall be plaed in the Control Room to enable the Board to monitor the entire activity.
- 13.4. A separate Server shall be used for storing the recordings of Video/CCTV and two copies of the recordings should be handed over to the Board everyday.
- 13.5. A facility to search and retrieve a particulars candidate's image recorded by all the Video/CCTV shall be provided.
- 13.6 The places/locations identified for placing the Video/CCTV cameras are detailed below.

Place/Location of Video/CCTV	Video/CCTV cameras(Minimum)
At the 'START'/Finish Point (One Backup)	2

14. Manpower Reuirement

- 14.1. University officials shall be provided for overall supervision and monitoring and to maintain law and order.
- 14.2. First aid and emergency medical services will be provided by the university.
- 14.3. However, manpower required for Operators and maintenance personnel for RFID Systems, Computers, Video/CCTV, UPS and Communications equipments etc.,

shall be arranged by the Vendor. Though Police/Jail department personnel will be provided for overall security of the centre, the vendor should also provide private security personnel for safety of the installed equipments for the shole duration at all centres.

15. **Identify Cards**

- 15.1. Unique Identification Card with colour codes shall be provided by the Agency to control access to restricted areas. The colour code will differentiate persons accessibility to specified areas.
- 15.2. University officials, personnel authorized by the university and agency personnel shall only be allowed to enter an area of the PET & PST Centre based on their Identity Cards